FORM No.63
[See *rule 148(1)*]

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P., INDORE
(ORIGINAL JURISDICTION)

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956
AND

In the matter of :-

M/s. M.P. PETROCHEM LIMITED (IN-LIQN.)
Company Petition No. 04/2011

ADVERTISEMENT OF NOTICE TO CREDITORS & EX-WORKMEN TO PROVE THEIR CLAIM

Notice is hereby given to the Creditors & Ex-workmen of the above- named company that they are required to submit to the Official Liquidator of the Court, proofs of their respective debts or claims against the above named company by delivering at the office of the Official Liquidator, 1st Floor, Old CIA Building, Opposite GPO, Residency Area, Indore (M.P.) **on or before the 24th day of May, 2019** or sending by post to the Official Liquidator so as to reach him not later than the said date, an affidavit proving the debt or claim in the prescribed form with their respective names, addresses and particulars of debt or claim, and any title to priority under Section 530 of the Companies Act, 1956. Any creditor or ex-worker who fails to submit his affidavit of proof within the time limited as aforesaid will be excluded from the benefit of any distribution of dividend before his debt is proved, or, as the case may be, from objecting to such distribution.

Any creditor or ex-workmen who has sent in his proof, if so required by notice in writing from the Official Liquidator, shall either in person or by his advocate, attend the investigation of such debt or claim at such time and place as shall be specified in such notice and shall produce such further evidence of his debt or claim as may be required.

Sd/-
(SITARAM S. GUPTA, ICLS)
OFFICIAL LIQUIDATOR
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, INDORE (M.P)
1st Floor, Old CIA Building, Opp. GPO, Residency Area,
Indore (M.P)

Dated this 16th day of April, 2019
Place:- INDORE (M.P.)
Phone- 0731-2710568

The Economic Times - 18/04/19

प्रारूप- 63

(नियम 148 (1) देखें)

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, इंदौर

मूल-क्षेत्राधिकार

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत

एवं

मेसर्स एम. पी. पेट्रोकेम लिमिटेड (परिसमापन-में) के अंतर्गत

कंपनी पिटीशन क्रमांक-04/2011

ऋणदाताओं, लेनदारों एवं पूर्व कर्मचारियों/श्रमिकों को अपना दावा सिद्ध करने हेतु सूचना

उपरोक्त नामांकित कंपनी के ऋणदाताओं, लेनदारों एवं पूर्व कर्मचारियों/श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा कंपनी को दिये गये ऋण अथवा दावे की राशि जो उक्त कंपनी से वसूल करना हो, उसके तत्संबंधी प्रमाण दिनांक 24 मई 2019, तक या उसके पूर्व शासकीय समापक के कार्यालय, प्रथम तल, ओल्ड सी.आय.ए. भवन, जी.पो.ओ. के सामने, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (म.प्र.), पिन कोड नं.- 452001, में प्रस्तुत करें या इस प्रकार भेजें कि उपरोक्त तिथि के पश्चात् नहीं पहुचें तथा अपने ऋण या दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र अपने नाम, पते एवं ऋण अथवा दावे के विवरण सहित प्रस्तुत करें, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 के अंतर्गत प्राथमिकता यदि कोई हो, तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो।

यदि कोई ऋणदाता, लेनदार एवं पूर्व कर्मचारी/श्रमिक उक्त उल्लेखित निर्धारित समयावधि के अंदर अपने ऋण अथवा दावे के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने में त्रुटि करेगा या प्रस्तुत नहीं करेगा तो वह कंपनी के डिविडेंड/लाभांश वितरण के लाभ से वंचित रहेगा और साथ ही ऐसे वितरण के संबंध में उसे आपत्ति करने का अधिकार भी नहीं रहेगा।

ऐसा ऋणदाता, लेनदार एवं पूर्व कर्मचारी/श्रमिक जिसके द्वारा प्रमाण प्रस्तुत/प्रेषित कर दिया हो, उसे शासकीय समापक द्वारा लिखित में सूचना द्वारा निर्देशित करने पर आवश्यकता अनुसार नियत समय एवं स्थान पर जो कि सूचना में उल्लेखित होगा, अपना ऋण अथवा दावे की जाँच के लिये स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा एवं तत्संबंधी अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो भी आवश्यक हो।

हस्ते/-
(सीताराम एस. गुप्ता, आईसीएलएस)
शासकीय समापक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर (म.प्र.)
प्रथम तल, ओल्ड सी.आय.ए. भवन,
जी.पी.ओ. के सामने, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (म.प्र.)

दिनांक :- 16-04-2019
स्थान :- इंदौर
दूरभाष नं. :- 0731-2710568

Dainik Bhaskar - 18/04/19